



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 936]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 2019/फाल्गुन 9, 1940

No. 936]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2019/PHALGUNA 9, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2019

का.आ.1070(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 28 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1069(अ), जो भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) दिनांकित 28 फरवरी, 2019 को प्रकाशित की गई थी, के तहत जमात-ए-इस्लामी (जेईआई), जम्मू और कश्मीर को विधि-विरुद्ध संगम घोषित किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त विधि-विरुद्ध संगठन के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा भी प्रयोग की जाएंगी।

[फा.सं. 14017/7/2019-एन.आई.-III]

एस.सी.एल. दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2019

S.O.1070(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government has declared the Jamaat-e-Islami (JeI), Jammu and Kashmir to be an unlawful association *vide* notification number S.O. 1069(E) dated 28th February, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated the 28th February, 2019;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 42 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby directs that all powers exercisable by it under section 7 and section 8 of the said Act shall be exercised also by the Government of Jammu and Kashmir in relation to the above said unlawful association.

[F.No.14017/7/2019-NI-III]

S.C.L. DAS, Jt. Secy.

1335 GI/2019